

वितीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम -

Health Management Information System

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -

Health Management Information System (Web server & Training at Block Level)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - B.8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली ने संशोधित HMIS प्रारूप लागू किया है एवं ऑन लाईन रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया है जिसका URL: <http://nrhm-mis.nic.in> है। जिलों के द्वारा संशोधित प्रारूप में वेब पोर्टल पर वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक प्रतिवेदन अपलोड किया जा रहा है।
- कार्यालय पत्रांक-8376, दिनांक-20.11.2008 द्वारा संशोधित HMIS प्रपत्र जिलों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- HMIS प्रपत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला नोडल एम० एण्ड ई० पदाधिकारी (Data Assistant) को उक्त के संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- वितीय वर्ष 2009-10 में सभी प्रखंड जिला एवं अनुमण्डलीय स्तर के अस्पतालों से संशोधित प्रारूप में वेब पोर्टल पर प्रपत्र अपलोड कराना है। अतः निम्नलिखित पदाधिकारियों को संशोधित HMIS प्रपत्र एवं वेब पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी प्रशिक्षण देना निश्चित किया गया है।
 - 1) सभी जिला अस्पतालों के उपअधीक्षक।
 - 2) सभी अनुमण्डलीय अस्पतालों के उपअधीक्षक।
 - 3) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी।
 - 4) सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक।
 - 5) सभी प्रखंड लेखा प्रबंधक।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय में जिला नोडल एम. एण्ड. ई. पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निगरानी में आयोजित किया जाएगा जो कि केवल एक दिन का होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में जिला नोडल एम. एण्ड. ई. पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं NHSRC नई दिल्ली के पदाधिकारी होंगे।
- प्रशिक्षण के बाद प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं अनुमण्डलीय स्तर के अस्पतालों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल पर संशोधित प्रारूप में प्रपत्र अपलोड करना प्रारंभ हो जाएगा एवं सही डाटा सही प्रारूप में एवं सही समय पर अस्पताल, जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर उपलब्ध कराना संभव हो जाएगा।

इकाई राशि (रूपये में) -

- 1) TA/DA प्रति प्रशिक्षु : रूपये 200/- मात्र। (एक मुस्त राशि)
- 2) अतिरिक्त खर्च प्रति प्रशिक्षु : रूपये 50/- मात्र। (एक मुस्त राशि)
- 3) प्रशिक्षक के रहने एवं खाने एवं अन्य खर्च : रूपये 2000/- मात्र। (एक मुस्त राशि)

Shiv
20/11/08

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें) -

- (क) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/8376, दिनांक- 20.11.2008
- (ख) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/8637, दिनांक- 13.12.2008
- (ग) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/9555, दिनांक- 31.03.2009
- (घ) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/10477, दिनांक- 01.06.2009
- (ङ) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/11298, दिनांक- 23.07.2009

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम -

नाम:- अरविन्द कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर -

फोन नंबर:- 9470003015

Sup
26/10

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

Health Management Information System

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) –

Health Management Information System (Web server & Training at Block Level)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – B.8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली ने संशोधित HMIS प्रारूप लागू किया है एवं ऑन लाईन रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया है जिसका URL: <http://nrhm-mis.nic.in> है। जिलों के द्वारा संशोधित प्रारूप में वेब पोर्टल पर वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक प्रतिवेदन अपलोड किया जा रहा है।
- कार्यालय पत्रांक-8376, दिनांक-20.11.2008 द्वारा संशोधित HMIS प्रपत्र जिलों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- HMIS प्रपत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला नोडल एम० एण्ड ई० पदाधिकारी (Data Assistant) को उक्त के संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 में सभी प्रखंड जिला एवं अनुमण्डलीय स्तर के अस्पतालों से संशोधित प्रारूप में वेब पोर्टल पर प्रपत्र अपलोड कराना है। अतः निम्नलिखित पदाधिकारियों को संशोधित HMIS प्रपत्र एवं वेब पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी प्रशिक्षण देना निश्चित किया गया है।
 - 1) सभी जिला अस्पतालों के उपअधीक्षक।
 - 2) सभी अनुमण्डलीय अस्पतालों के उपअधीक्षक।
 - 3) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी।
 - 4) सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक।
 - 5) सभी प्रखंड लेखा प्रबंधक।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय में जिला नोडल एम. एण्ड. ई. पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निगरानी में आयोजित किया जाएगा जो कि केवल एक दिन का होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में जिला नोडल एम. एण्ड. ई. पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं NHSRC नई दिल्ली के पदाधिकारी होंगे।
- प्रशिक्षण के बाद प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं अनुमण्डलीय स्तर के अस्पतालों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल पर संशोधित प्रारूप में प्रपत्र अपलोड करना प्रारंभ हो जाएगा एवं सही डाटा सही प्रारूप में एवं सही समय पर अस्पताल, जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर उपलब्ध कराना संभव हो जाएगा।

इकाई राशि (रूपये में) –

- 1) TA/DA प्रति प्रशिक्षु : रूपये 200/- मात्र। (एक मुस्त राशि)
- 2) अतिरिक्त खर्च प्रति प्रशिक्षु : रूपये 50/- मात्र। (एक मुस्त राशि)

[Handwritten Signature]

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें) -

- (क) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/8376, दिनांक- 20.11.2008
- (ख) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/8637, दिनांक- 13.12.2008
- (ग) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/9555, दिनांक- 31.03.2009
- (घ) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/10477, दिनांक- 01.06.2009
- (ङ) पत्र संख्या - SHSB/DOSA/37/2007/11298, दिनांक- 23.07.2009

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम -

नाम:- अरविन्द कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर -

फोन नंबर:- 9470003015

